–

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार सह कौषल विकास भत्ता दिये जाने हेतु अर्हता/ शर्ते :–

1– आयु– आवेदनकर्ता की आयु कार्यालय में आवेदन करते समय न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

2–शैक्षिक योग्यता– इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

3–इस योजना का लाभ राज्य गठन की तिथि से पूर्व राज्य में निवास कर रहे बेरोजगार व्यक्तियों को अनुमन्य होगा।

4–पारिवारिक आय– बेरोजगार व्यक्ति के परिवार की समस्त स्रोतों से आय रू0 2,50000/–वार्षिक से अधिक न हो।

5–सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण– बेरोजगार व्यक्ति का नाम सेवायोजन कार्यालय में दि0 9 नवम्बर 2012 को 04 वर्ष की अवधि नवीनीकरण सहित पूर्ण रूप में दर्ज होना चाहिये।

6– क– आवेदक बेरोजगार होना चाहिये।

ख–यह भत्ता 02 वर्ष के लिये दिया जायेगा तथा इस मध्य आवेदक को रोजगार प्राप्त होने पर भत्ता स्वतःसमाप्त हो जायेगा।

घ–आवेदक रोजगार/स्वरोजगार में न लगा हो।

ड–आवेदक पदच्युक्त सरकारी कर्मचारी न हो।

7– बेरोजगारी भत्ते की धनराशि– इण्टर अथवा समकक्ष उत्तीर्ण को रू0 500/– स्नातक अथवा समकक्ष को रू0 750/– परास्नातक अथवा समकक्ष को `1000/– प्रतिमाह अनुमन्य होगा।

8– भत्ता प्राप्त कर रहा अभ्यर्थी गलत सूचना देते हैं तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए पूर्व में दिये गये भत्तों की वसूली की जायेगी।

9– अभ्यर्थी का सरकारी/निजी संस्थान/कंपनी में चयन/नियुक्त होने पर यदि वह व्यक्ति कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो वह भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा।

10–आवेदक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाना होगा।

11– भत्ता जारी रखने के लिये अभ्यर्थी को अन्तिम त्रैमास में किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर इस आशय का शपथ पत्र सेवायोजन कार्यालय को देना होगा कि वह अभी भी बेरोजगार है,जिससे उसे आगामी वित्तीय वर्ष भी भत्ता मिल सके।

11– आवेदक को 11''X 5''तथा पंजीकृत डाक हेतु निर्धारित `25/– के दो लिफाफे भी आवेदन पत्र के साथ जमा करने होंगे।

12– कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह भत्ता प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों की सूची rudraprayag.nic.in में District Employment लिंक के अन्तर्गत (List of candidates for skill Devlopment Allowance) में जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है। यदि कोई पात्र अभ्यर्थी उक्त सूची में चिह्नित नहीं हो सके हैं तो वे तुरन्त जिला सेवायोजन कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से, सम्पूर्ण अभिलेखों सहित सम्पर्क कर सकते हैं ।

आज्ञा से–

जिला सेवायोजन अधिकारी,

रूद्रप्रयाग।

BHATTE KE LIYE JO FORM AAPNE OFFICE MEIN JAMAA KIYAA HAI USMEIN KUCHH AAPATTIYAAN HAIN TURANT OFFICE MEIN SAMPARK KAREIN TABHI SWEEKRIT HOGA

BHATTE KE LIYE AAPNE JO ROZGAAR KAARYAALAY MEIN AAVEDAN KIYAA HAI USMEIN AAPATTIYAAN HAIN UNKE NIRAAKARAN KE BAAD HEE BHATTAA SWEEKRIT HOGAA